भारत में *स्वस्थाने (In-Situ) संरक्षण की स्थिति*

किशोर कुमार
गो०ब० पंत हिमालय पर्यावरण एंव विकास संस्थान,
कोसी–कटारमल, अल्मोड़ा–263643, उत्तराखण्ड

भूमिका

जब पथ्वी पर मानव उत्पत्ति हुई तो उसने पथ्वी के प्राकतिक तंत्र को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप समय–समय पर परिवर्तित किया। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व कषि सभ्यता के साथ ही मानवीय जनसंख्या में बढ़ोत्तरी प्रारम्भ हुई। वैश्विक जनसंख्या के स्तर में 19 वीं सदी तक सामान्य बढ़ोत्तरी हुई। कषि क्षेत्र, उद्योग एवं मानवीय स्वास्थ्य सम्बन्धी तकनीकों में निरन्तर विकास से जनसंख्या में उल्लेखनीय वद्धि हुई जो कि अभी भी निरन्तर बढ़ती जा रही है।

जनसंख्या स्तर में अभूतपूर्व वद्धि, एवं प्राकतिक संसाधनों के निरन्तर दोहन ने पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव–मण्डल को अत्यधिक प्रभावित किया है। पारिस्थितिक तंत्र के स्वरूप में परिवर्तन को प्रभावी तरीके से निरन्तर अग्रसर रखा है। औद्यौगीकरण एवं कषि भूमि तथा मानवीय आवास क्षेत्रों के विस्तार से प्राकतिक आवास सर्वाधिक प्रभावित हुए जिसकी कीमत जैव विविधता के ह्रास के रूप में विश्व समुदाय को आज तक चुकानी पड़ रही है।

जैवतन्त्र के बदलते परिदश्य ने जैव–विविधता संरक्षण के प्रभावी उपायों की कार्यनीति के विकास के लिए वैश्विक स्तर पर मानव का ध्यान आकर्षित किया। सन् 1872 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने अमेरिका में स्थित यलोस्टोन क्षेत्र को विश्व के पहले राष्ट्रीय पार्क के रूप में स्थापित किया। वन्य जीवों का संरक्षण, सदियों से भारतीय संस्कति की एक परम्परा रही है। ईसा से लगभग 6000 वर्ष पूर्व से ही वन एवं वन्य संसाधनों के उपयोग की परम्परा आखेटक और चारण समुदाय की आवश्यकता रही है। कषि भूमि के औद्योगीकरण और शहरीकरण के निरन्तर विस्तार से प्राकतिक क्षेत्र एवं इसकी जैव विविधता के स्तर में निरन्तर गिरावट आने लगी। जिसके फलस्वरूप प्राकतिक क्षेत्र एवं उनकी जैव विविधता के संरक्षण की उपयोगिता महसूस होने लगी। सन् 1947 में आजादी के तुरन्त बाद गिर (गुजरात), दचिगम (जम्मू एवं कश्मीर), वादीपुर (कर्नाटक), इरावीकुलम (केरल), माधव (मध्यप्रदेश), सिमलीपाल (उड़ीसा), केवलदेव, सरिस्का एवं रणथम्भौर (राजस्थान) के क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के रूप में स्थापित कर दिये गये।

राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण नीति 1970 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सन् 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के फलस्वरूप भारतीय संरक्षण क्षेत्र की सूची में आशाजनक प्रगति हुई और 1990 तक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 69 से बड़कर 410 तक पहुॅच गई। राष्ट्रीय बाघ योजना 1973 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप भारतीय संरक्षण क्षेत्र एवं उनकी जैवविविधता के प्रोत्साहन को अत्यधिक बल मिला।

स्वस्थाने संरक्षण की आवश्यकताः

एजेन्डा 21 - संरक्षित क्षेत्रों का प्रबन्धन

ब्राजील राष्ट्र के *'रियो डी जिनेरियो'* शहर में 3-14 जून, 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में भारत समेत 178 राष्ट्रों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस संगोष्ठी के एजेण्डा 21 के अन्तर्गत जैव विविधता संरक्षण में सुधार एवं संसाधनों के सतत् उपयोग सम्बन्धी पहलुओं पर विस्तत वार्ता के उपरान्त तत्संबंधी कार्यनीति विकसित की गई और इस

कार्यनीति को समस्त राष्ट्रों में क्रियान्वित करने पर सहमति बनी। यह जैव विविधता समझौते का एक प्रयास था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास संगोष्ठी के जैव विविधता समझौते के अनुसार भारत में स्थित सभी राज्यों एवं भौगोलिक क्षेत्रों, हवा, जलीय क्षेत्रों, इसके जन्तु एवं वनस्पति प्रजातियों, पारिस्थितिक तंत्रों, तथा आवासों को संयुक्त रूप से वर्गीकत किया गया तथा बायोजियोग्राफिक क्षेत्र विशेष के आधार इनका नामकरण किया गया। सम्पूर्ण भारतवर्ष को दो रिलम में बॉटा गया है। जिसमें पेलीआर्कटिक रिलम का प्रतिनिधित्व हिमालयी क्षेत्र करता है। जबकि शेष भारतीय उप–महाद्वीप मलायन रिलम के अन्तर्गत आता है।

स्वस्थाने संरक्षण को प्रभावी रूप से कारगर बनाने हेतु भारत के भौगोलिक क्षेत्र को निम्न 10 बायोजियोग्राफिक क्षेत्रों एवं 2-6 प्रान्तों में वर्गीकत किया गया है जो कि निम्नवत् हैः

बायोजियोग्राफिक रिजन एवं प्रोविन्स	सम्बन्धित राज्य
1A – ट्रांस हिमालय – लद्दाख की पहाड़ियाँ	जम्मू एवं कश्मीर
1B – ट्रांस हिमालय – तिब्बती पठार	हिमांचल प्रदेश
2A –हिमालय – उत्तर पश्चिम हिमालय	जम्मू एवं कश्मीर, हिमांचल प्रदेश
2B –हिमालय – पश्चिम हिमालय	हिमांचल प्रदेश, उत्तराखण्ड़
2C –हिमालय – मध्य हिमालय	सिक्किम
2D–हिमालय – पूर्वी हिमालय	अरूणांचल प्रदेश
3A –मरूस्थल – थार	राजस्थान
3B – मरूस्थल – कच्छ	गुजरात
4A –सेमी एरिड – पंजाब प्लेन	पंजाब
4B – सेमी एरिड – गुजरात राजपूताना	गुजरात, राजस्थान, उत्तरप्रदेश
5A –वेस्टर्न घाट – मालाबार प्लेन	कर्नाटक, केरल
5B – वेस्टर्न घाट – वेस्टर्न घाट माउन्टेन	महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल
6A –डकन पेननसुला – सेन्ट्रल हाईलैण्ड	मध्य प्रदेश
6B –डकन पेननसुला – छोटा नागपुर	बिहार
6C – डकन पेननसुला – इस्टर्न हाईलैण्ड	आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश
6D – डकन पेननसुला – सेन्ट्रल प्लेट्यू	कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र
6E – डकन पेननसुला – डकन साउथ	तमिलनाडु, कर्नाटक
7A – गैन्गेटिक प्लेन –अपर गैन्गेटिक प्लेन	बिहार, पश्चिमी बंगाल
7C – गैन्गेटिक प्लेन – लोअर गैन्गेटिक प्लेन	महाराष्ट्र, केरल
8A– कोस्ट्स – वैस्ट कोस्ट्स	उड़ीसा, तमिलनाडु
8B – कोस्ट्स – इस्ट कोस्ट्स	पश्चिमी बंगाल
8C – कोस्ट्स – लक्ष्यद्वीप	लक्ष्यद्वीप
9A – नार्थईस्ट – ब्रहमपुत्र वैली	आसाम
9B– नार्थईस्ट – नार्थईस्ट हिल्स	आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड़, मणीपुर
10A – आइसलैण्ड – नार्थलैण्ड	अण्डमान
10B– आइसलैण्ड – निकोबार	निकोबार

स्रोतः पर्यावरण एवम् वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

बायोजियोग्रेफिक वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र तंत्र के अन्तर्गत लाना है। राष्ट्रीय वन नीति के आधार पर देश का लगभग 33 फीसदी भूभाग वन्य क्षेत्र के अन्तर्गत आना चाहिए। पर्यावरण तंत्र के संतुलन के आधार से 60 फीसदी वन्य क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों तथा 20 फीसदी

वन्य क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों में आवश्यक है। भारत में लगभग 22.3 प्रतिशत भूभाग वन्य क्षेत्र था, लेकिन वर्तमान में उपग्रह के अध्ययन से पता चला कि यह सिमटकर 10-12 प्रतिशत रह गया है। वन्य क्षेत्र ही जंगली जीवों के प्राकतिक आवास हैं प्राकतिक आवासों के असन्तुलित स्वरूप एवं मानवीय क्रियाकलापों के हस्तक्षेप से बहुत से जन्तु एवं वनस्पति प्रजातियां गंभीर रूप से प्रभावित हो रही हैं।

जीवजन्तु संरक्षण (सुरक्षित क्षेत्र)

भारतवर्ष में स्थित संरक्षित क्षेत्रों की संख्या तथा उनके क्षेत्रफल को तालिका– 1 में दर्शाया गया है।

तलिका 1: भारत में स्थित संरक्षित क्षेत्रों की स्थिति

क्र०सं०	संरक्षित क्षेत्र	संख्या	कुल क्षेत्रफल(वर्ग कि०मी०)
1	नेशनल पार्क	97	38]199-47
2	वन्यजीव अभ्यारण्य	508	118236-94
3	संरक्षण आरक्ष	7	95-82
4	समुदायिक आरक्ष	2	16-26
5	सुरक्षित क्षेत्र	614	156548-494

स्रोतः डब्लू० आई०आई० देहरादून 2008

नेशनल पार्क (राष्ट्रीय उद्यान):

ऐतिहासिक पष्ठभूमि

भारतीय वन्य जीव संघ के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत प्राकतिक सौन्दर्य एवं ऐतिहासिक पष्ठभूमि के साथ–साथ वन्यजीव सघनता वाले क्षेत्र आते हैं जो कि मानव एवं उसकी आने वाली पीढ़ियों को जैव विविधता के ज्ञान एवं नैर्सगिक सौन्दर्यता का आनन्द प्रदान कर सकें। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का अधिकार उस राष्ट्र की संघीय सरकार का है। लेकिन भारतवर्ष में राज्य सरकारें भारतीय वन्यजीव संघ द्वारा निर्धारित किये गये दिशा निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान का चयन कर सकती हैं। वर्ष 1936 में हेली राष्ट्रीय पार्क को भारत के प्रथम राष्ट्रीय पार्क का स्वरूप प्राप्त हुआ जो कि वर्तमान में कार्बेट नेशनल पार्क के रूप में विश्वविख्यात है।

परिभाषा:- राष्ट्रीय उद्यान की सर्वप्रथम परिभाषा अफ्रीकी जन्तुओं की लन्दन संगोष्ठी 1933 में विकसित की गई। इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप को प्रभावी रूप से वर्जित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के अन्तर्गत कोई भी मनुष्य वन्यजीव एवं उनके प्राकतिक आवास को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता। वन्य जीव एवं सम्पदा को किसी भी प्रकार की क्षति अथवा हानि पहुॅचाने पर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा 2003 तक संशोधित संस्करण में वर्णित I-VI अनुसूचियों के अंतर्गत कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्राविधान है। वर्तमान में भारतवर्ष में 97 राष्ट्रीय पार्क 38,199.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित हैं जो कि देश के कुल 1.16 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वन्यजीव अभ्यारण्य (वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी):- वन्य जीव–जन्तुओं/पादपों एवं उनकी विभिन्न प्रजातियों को उनके क्षेत्रीय प्राकतिक आवासों में ही संरक्षित किये जाने वाले क्षेत्रों को वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है। भारतवर्ष में सामान्यतः वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य सरकारों के राजपत्रों के निर्देशों पर स्थापित किये जाते हैं। इन क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रकार की गतिविधियां जैसे – ईको पर्यटन, शैक्षिणिक मनोरंजन, शोध एवं सामुदायिक विकास आदि करने हेतु अभ्यारण्य भूमि में व्यक्तिगत मालिकाना अधिकार दिये जा सकते हैं। राज्य सरकार के वन मंत्री अथवा सम्बन्धित मुख्य जीव संरक्षक के आदेश की संस्तुति पर वन्यजीव

अभ्यारण्य को सामान्य वन क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा संशोधित रूप 2003 के आधार पर वन्य प्राणियों को हानि पहुँचाना एवं उनका आखेट करना कानूनन अपराध है। प्राणियों के मारने तथा क्रय विक्रय सम्बन्धी अपराधों में सजा एवं जुर्माने की व्यवस्था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूचियों में जन्तु प्रजातियों की संरक्षण की स्थिति के आधार पर निर्दिष्ट है। वर्तमान (2008) में भारतवर्ष में 508 जैव अभ्यारण्य 118,236.94 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में स्थित हैं जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.60 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जैव मण्डल आरक्षः- पर्यावरण संतुलन, सामाजिक विविधता, जैव विविधता एवं प्राकतिक संसाधनों के पारस्परिक सामन्जस्य व संरक्षण की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुऐ वैश्विक स्तर पर ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता एवं मानवीय सभ्यता के पारम्परिक ज्ञान का सामाजिक विकास में सतत कल्याण हेतु संरक्षण व संवर्धन किया जा सके।

तालिका 2: भारतीय संरक्षित क्षेत्रों का विवरण (2008)

क्र०सं०	राज्य का नाम	राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या	क्षेत्रफल	अभ्यारण्य की संख्या	क्षेत्रफल	संरक्षित क्षेत्र	क्षेत्रफल
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	9	1]156-9150	96	389-39	105	1]54630
2	आन्ध्रप्रदेश	4	373-24	22	12599-19	26	12972-43
3	अरूणाचल प्रदेश	2	2290-82	11	7606-37	13	9897-19
4	आसाम	5	1977-79	18	1932	23	3909-79
5	बिहार	1	335-65	12	2856-06	13	3191-71
6	चण्डीगढ़			2	26-129		
7	छत्तीसगढ़	3	2899-08	11	3583-25	14	6482-26
8	दादरा नागर हवेली			1	92-16		
9	दमनदीव			1	2-18		
10	दिल्ली			1	27-2		
11	गोवा	1	107	6	647-96	7	754-96
	गुजरात	4	480-11	22	16440-94	26	16921-05
12	हरियाणा	2	48-25	8	206-95	12	303-92
13	हिमाचल प्रदेश	2	1430	33	6171-11	35	7601-11
14	जम्मू एवं कश्मीर	4	3930-25	15	10312-25	19	14242-50
15	झारखण्ड	1	231-67	11	1945-58	12	2177-35
16	कर्नाटक	5	2472-18	21	3888-14	26	6360-32
17	केरला	6	558-16	15	1894-49	22	2454-15

18	लक्ष्यद्वीप			1	0-01		
19	मध्यप्रदेश	9	3656-36	25	7158-40	34	10814-76
20	महाराष्ट्र	6	1273-60	35	14152-69	42	15429-78
21	मणीपुर	1	40-00	1	184-40	2	224-40
22	मेघालय	2	267-48	3	34-20	5	301-68
23	मिजोरम	2	150-00	7	680-75	9	830-75
24	नागालैण्ड	1	202-02	3	20-34	4	222-36
25	उड़ीसा	2	990-70	18	6969-15	20	7959-85
26	पंजाब			12	323-79	14	340-05
27	राजस्थान	5	4122-33	23	5447-03	28	9569-36
28	सिक्किम	1	1784	7	399-10	8	2183-10
29	तमिलनाडू	5	307-84	20	2997-63	26	3305-47
30	त्रिपुरा	2	199-79	3	403-85	5	603-64
31	उत्तरप्रदेश	1	490	23	522-47	24	5712-47
32	उत्तराखण्ड	6	4731	6	2418-65	14	7191-93
33	पश्चिम बंगाल	5	1693-25	15	1203-28	20	2896-53

स्रोतः डब्लू०आई०आई०, देहरादून (2008)

बायोस्फेयर रिर्जव संरक्षित क्षेत्रों की परिकल्पना की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिक एवं सांस्कतिक संगठन के *मानव एवं जैव मण्डल कार्यक्रम* के अंतर्गत सन् 1973 में हुई थी। जैव मण्डल ऐसे संरक्षित क्षेत्र हैं जो स्थलीय, पर्वतीय एवं तटीय विशेषतया समुद्र तटीय पारितंत्रों के जैविक तथा अजैविक कारकों के अध्ययन में आने वाली समस्याओं के निदान एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देते हैं। साथ ही वहाँ विद्यमान जैव विविधता के संरक्षण एवं प्रबन्धन के नए आयामों के अवसर प्रदान करते हैं। ये क्षेत्र राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं। इन क्षेत्रों का प्रबन्धन उन राज्यों के अधीन होता है जहाँ ये क्षेत्र स्थित होते हैं। अधिकांशतः इन क्षेत्रों का उपयोग जन्तु एवं पादपों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु जीवित प्रयोगशालाओं की भांति किया जाता है। यहाँ पर यह जानने का प्रयास व प्रदर्शन किया जाता है कि जल, जंगल, जमीन के साथ साथ प्राकतिक संसाधनों के सतत् उपयोग और उनका समन्वित संरक्षण व प्रबन्धन कैसे किया जाय। किसी भी क्षेत्र विशेष को बायोस्फेयर रिजर्व घोषित किये जाने पर वहां पर निम्नांकित रूप में संरक्षण एवं विकास की अपेक्षा होती है–

- भू–आकतियों (वनभूमि, कषि भूमि, घाटी, पर्वत, चारागाह आदि) तथा विभिन्न प्रकार के जीवधारियों तथा वनस्पतियों की प्रजातियों का संरक्षण सुनिश्चित करना।
- सामुदायिक आर्थिक विकास की परिकल्पना को पर्यावरणीय परिधियों के आधार पर सुसंगठित एवं विकसित करना।
- शोध एवं विकास की परियोजनाओं में सहयोग तथा संरक्षण एवं विकास के विश्वस्तरीय मुद्दों की पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करना।

भारतवर्ष में बायोस्फेयर रिर्जव की स्थितिः- सन् 1972 में भारतवर्ष में *नेशनल मैन एण्ड बायोस्फेयर रिर्जव, आयोग* की स्थापना हुई। देश में इस कार्यक्रम का संचालन एवं वित्तीय व्यवस्था, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारतवर्ष में 15 बायोस्फेयर रिजर्वों की स्थापना की जा चुकी है (तालिका 3) तथा 15 अन्य क्षेत्र बायोस्फेयर रिजर्व स्थापना के लिए चिन्हित किए जा चुके हैं (तालिका 4)।

तालिका 3% भारतवर्ष में बायोस्फेयर रिर्जव की स्थिति

बायोस्फेयर रिर्जव का नाम	कुल भू क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	सम्बन्धित राज्य	बायोजियोग्रॉफिक क्षेत्र	प्रान्त
नीलगिरी	5520	तमिलनाडू, केरल, कर्नाटक	5 वेस्टर्न घाट	वेस्टर्न घाट माउन्टेन
नन्दादेवी	6407-03	उत्तराखण्ड	2ch – हिमालय	पश्चिमी हिमालय
नोकरेक	820	मेघालय	9ch&नार्थईस्ट	नार्थ ईस्ट हिल्स
मनास	2837	आसाम	9,&नार्थ ईस्ट	ब्रह्मपुत्र घाटी
सुन्दरवन	9630	पश्चिम बंगाल	8ch&कोस्ट	ईस्ट कोस्ट
गल्फ मन्नार	10500	तमिलनाडू	8ch&कोस्ट	ईस्ट कोस्ट
ग्रेट निकोबार	885	अण्डमान एवं निकोबार	10ch&आइसलैण्ड	निकोबार
सिमलीपाल	4374	उड़ीसा	6lh& डक्कन पेननसुला	ईस्टर्न हाईलैण्ड
डिब्रू–सेखोवा	765	आसाम	9,&नार्थईस्ट	ब्रह्मपुत्र घाटी
देहांग–देबांग	5111-5	अरूणाचल प्रदेश	2Mh& हिमालय	पूर्वी हिमालय
कन्चनचंगा	2619-92	सिक्किम	2lh& हिमालय	मध्य हिमालय
पंचमढ़ी	4926-28	मध्यप्रदेश	6,& डक्कन पेननसुला	सेन्ट्रल हाईलैण्ड
अगस्त्यमलायी	3500-36	तमिलनाडू एवं केरल	5,&वेस्टर्न घाट	मालाबार प्लेन
अचनकमार अमरकंटक	3835-51	मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़	6,&डकन पेननसुला	सैन्ट्रल हाईलैण्ड
लिटिल रन कच्छ	12454	गुजरात	3ch&डेजर्ट	कच्छ

स्रोतः वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

तलिका 4: प्रस्तावित बायोस्फेयर रिर्जव स्थापना हेतु सम्भावित चिन्हित क्षेत्र

Ø0la0	बायोस्फेयर रिर्जव स्थापना हेतु चिन्हित क्षे. का नाम	प्रतिनिधि राज्य	बायोजियोग्राफिक जोन
1	नामधापा	अरूणाचल प्रदेश	2डी–हिमालया–ईस्ट हिमालया
2	थार रेगिस्तान	राजस्थान	3ए–डेर्जट थार
3	काजीरंगा	आसाम	2डी–हिमालया –ईस्ट हिमालया
4	कान्हा	मध्यप्रदेश	6ए–डक्कन पेननसुला–सेन्ट्रल हाईलैण्ड
5	नार्थ अण्डमान आइसलैण्ड	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	10ए–10बी– अण्डमान निकोबार
6	अबुजमरह	मध्यप्रदेश	डक्कन पेननसुला–सेन्ट्रल प्लेट्यू
7	कोल्ड डेर्जट	जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश	1बी–इस्ट हिमालया–तिब्बत प्लेट्यू

8	सेंशाचलम	आन्ध्रप्रदेश	6डी–पेननसुला–सेन्ट्रल प्लैट्यू
9	चिंतापल्ली	आन्ध्रप्रदेश	6सी–डेक्कन पेननसुला– ईस्टर्न हाईलैण्ड
10	लक्ष्यद्वीप आइसलैण्ड	लक्ष्यद्वीप	8सी–कोस्ट–लक्ष्यद्वीप
11	सिंहभूमि	झारखण्ड	6बी–डेक्कन पेननसुला–छोटा नागपुर

स्रोतः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

बायोस्फेयर रिजर्व का स्वरूपः- बायोस्फेयर रिजर्व के सम्पूर्ण क्षेत्र को जैव संरक्षण एवं सामाजिक उपयोगिता की प्राथमिकता के आधार पर 3 उपक्षेत्रों में विभाजित किया गया है–

(अ) कोर जोन (गर्भ क्षेत्र)ः- यह क्षेत्र संवेदनशील भू–भाग है जिसे विधि द्वारा स्थापित प्राविधानों के अंतर्गत इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि इसके अन्तर्गत आने वाले जन्तु एवं वनस्पति प्रजातियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। सामान्यतः कोर क्षेत्र सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन स्थानीय समुदायों के इको पर्यटन, सांस्कतिक तथा पारम्परिक उद्देश्यों एवं वैज्ञानिक अध्ययन एवं शोध कार्यों हेतु विशेष परिस्थितियों में सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के लिए क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है।

(ब) बफर जोन (प्रतिरोधक क्षेत्र)ः- कोर क्षेत्र की परिधि से बाहर विस्तत भूभाग को बफर जोन कहते हैं। यह क्षेत्र कोर क्षेत्र की जैविक विविधता को संरक्षण प्रदान करने में प्रतिरोधक कवच की भांति कार्य करता है। यहाँ पर स्थानीय मानव समुदाय के निवास के साथ साथ इको पर्यटन, शोध एवं शैक्षिक, कषि तथा मनोरंजन आदि क्रिया कलाप की अनुमति का प्राविधान रहता है।

(स) ट्रांजिशन जोन (संक्रमण क्षेत्र)ः- यह एक ऐसा बाहरी क्षेत्र है जिसकी सीमाओं का स्पष्ट सीमांकन नहीं होता है। इस क्षेत्र में मानव आबादी निवास करती है जो विभिन्न पारम्परिक एवं व्यवसायिक गतिविधियों जैसे कषि, पशुपालन, बागवानी, मछली एवं मधुमक्खी पालन हेतु क्षेत्र के प्राकतिक संसाधनों का उपयोग करती है। संक्रमण क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य बफर क्षेत्र में मानवीय दबाव को (प्राकतिक संसाधनों के उपयोग) कम करना है।

स्वस्थानिक संरक्षण हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहलः– राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर जन्तु एवं पादप प्रजातियों के संरक्षण को सुदढ़ एवं संगठित बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। जिनमें से विश्व एवं भारत की प्रमुख संस्थाओं एवं उनके द्वारा चलाई गई परियोजनाओं का विवरण निम्नांकित है–

(1) विश्व धरोहर स्थल अवधारणाः– संयुक्त राष्ट्र संघ का वैज्ञानिक एवं सांस्कतिक संगठन (यूनेस्को) विश्व धरोहर स्थलों का दर्जा ऐसे क्षेत्रों को देता है जो विश्व परिदश्य में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं तथा वहाँ की जैव विविधता, सामाजिक तथा सांस्कतिक विरासत को संजोये रखते हैं। ऐसे स्थलों में मानवीय गतिविधियों का हस्तक्षेप न्यूनतम रहता है फलस्वरूप यह अवधारणा महत्वपूर्ण जैव प्रजातियों को प्राकतिक आवास में संरक्षित करने में मील का पत्थर साबित हुई है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज संस्था द्वारा भारत के 22 सांस्कतिक एवं प्राकतिक क्षेत्रों को इस श्रंखला में सूचीबद्ध किया गया है।

(2) इन्टरनेशनल यूनियन फॉर नेचर एण्ड नेचुरल रिर्सोसेज (वर्ल्ड कन्जरवेशन यूनियन)ः- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वनस्पति एवं जन्तुओं के संरक्षण की स्थिति का आंकलन आई०यू०सी०एन० रेड लिस्ट या रेड डाटा लिस्ट में वर्णित श्रेणियों के आधार पर किया जाता है। इसमें चयनित जन्तु एवं पादप प्रजातियों को संरक्षण की प्राथमिकता एवं उनके प्राकतिक आवास की स्थित एवं संकटग्रस्त कारणों से बचाने के लिए परियोजना निर्धारकों को महत्वपूर्ण सुविधा मिलती है।

(3) कन्जर्वेशन आन इण्टरनेशनल ट्रेड इन इन्डेन्जर्ड स्पीशीजः- संकटग्रस्त पादप एवं जन्तु प्रजातियों के व्यापार को रोकने के लिए सन् 1973 में आई०यू०सी०एन० सदस्य राष्ट्रों के बीच में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर

जो समझौता हुआ उसे इस नाम से जाना जाता है। यह भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर स्वस्थानी जन्तु एवं पादपों के संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने में महत्वपूर्ण कदम है। जन्तुओं के आई०यू०सी०एन० की संकटग्रस्त स्थिति के आधार पर उनके संरक्षण को इसमें वर्णित ऐपेंडिक्स 1,2 तथा 3 में स्थान दिया गया है। वर्तमान में इस संस्था में 173 सदस्य राष्ट्रों की भागीदारी सुनिश्चित है।

(4) रामसार कनवेंशनः- इसकी स्थापना सन् 1971 में हुई तथा यह प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जलीय क्षेत्रों के जैवविविधता संरक्षण हेतु एक प्रभावी पहल है। इसके क्रियान्वयन के फलस्वरूप जलक्षेत्रों (तालाब, झील, दलदल नदी, समुद्र तट) के जीव (पक्षी, मछली, पादपों) के प्राकतिक आवास के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। भारत में अब तक 27 जलीय क्षेत्रों को उनकी बहुआयामी उपयोगिता के आधार पर रामसार क्षेत्रों का दर्जा प्राप्त हुआ है। 1. चिल्का क्षेत्र, उड़ीसा, 2. लोकटेक लेक, मनीपुर, 3. वुलर लेक, जम्मू एवं कश्मीर, 4. केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान – राजस्थान इनमें प्रमुख हैं।

(5) कन्वेशन आन बायोलॉजिकल डायवर्सिटीः- रियो डि जनेरियो, ब्राजील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास संगोष्ठी 1992 में 187 सदस्य राष्ट्रों को ऐजेंडा 21 के अन्तर्गत आर्टिकल में वर्णित सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना विस्तार कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी, जैव विविधता संरक्षण सम्बन्धी निम्नांकित कानूनों, नियमों, परियोजनाओं, संगोष्ठियों एवं अध्यादेशों तथा अधिनियमों ने भी संरक्षित क्षेत्रों एवं स्वस्थाने जैव विविधता संरक्षण को अधिक सशक्त बनाया–

1. नेशलन बायोडाईवर्सिटी स्ट्रेटजी एण्ड एक्शन प्लान, 2. नेशनल एनवाइरनमेंटल पॉलिसी, 3. बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2004, 4. नेशनल कन्जर्वेशन स्ट्रेटजी एण्ड पॉलिसी स्टेटमेन्ट आन एन्वायरनमेंट एंड डेवलपमेंट –1992, 5. ऐन्वाइरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट–1986, 6. इण्डियन फॉरेस्ट एक्ट–1927, ७. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट–1972, 8. फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट– 1920, 9. धार्मिक वन उपवन क्षेत्र परिकल्पना, 10. चिपको आन्दोलन।

सन्दर्भः

डब्लू० आई० आई० 2008. नेशनल वाइल्ड लाइफ डाटासेल, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज
(वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 2004. **www.envfor.nic.in**)